

जिला रेशम कार्यालय रायसेन के कर्मचारियों की अचल संपत्ति का विवरण

फॉर्म
प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2010

1 अधिकारी / कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो रविंद्र बरारकर (रेसम विभाग) वर्तमान धारित पद 210303
3 वर्तमान वेतन 83701900 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2010

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	ग्रह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
ग्राम टिकारी जिला बैतूल उपसंभाग हाशंगाबाद	ग्रह	—	800000	पिता के नाम	विरासत	—	—

जहां लागू न हो काट दीजिए।

ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही सही निर्धारण करना संभव न हो वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए। इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से वह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दे।

हस्ताक्षर R09
नाम रविंद्र बरारकर
पद स.स.उ

Achal sumpati

फॉर्म
प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2010

1 अधिकारी / कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो रविंद्र बरारकर (रेसम विभाग) वर्तमान धारित पद 210303
3 वर्तमान वेतन 1099012000 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01-07-2010

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	ग्रह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>ग्राम टिकारी जिला बैतूल उपसंभाग हाशंगाबाद</u>	<u>ग्रह</u>	<u>—</u>	<u>1500000</u>	<u>पिता के नाम</u>	<u>विरासत</u>	<u>—</u>	<u>—</u>

जहां लागू न हो काट दीजिए।

ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही सही निर्धारण करना संभव न हो वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए। इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से वह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दे।

हस्ताक्षर R09
नाम रविंद्र बरारकर
पद स.स.उ

Achal sumpati

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पति का विवरण वर्ष 2010

- 1 अधिकारी / कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो पितामह प्रकाश राव, रेशन विभाग
 2 वर्तमान धारित पद कनिष्ठ रेशन निरीक्षक
 3 वर्तमान वेतन 12,650 + 2,400 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1/7/2010

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	ग्रह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
रायसेन रायसेन रायसेन	1 भूकान करवा	20x30 वगैरह	2लाख 2पैसे नगवान अपराजित	पैतृक संपत्ति स्व. श्री प्रहलद पुत्र	विरासत में	निरर्थक	

जहां लागू न हो काट दीजिए ।

ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही सही निर्धारण करना संभव न हो वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए। इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं ।

टिप्पणी मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से वह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दे ।

हस्ताक्षर P. Shetty
 नाम पी.एस. शेट्टी
 पद कनिष्ठ रेशन निरीक्षक

Achal sumptati

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पति का विवरण वर्ष 2010

- 1 अधिकारी / कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो अचल प्रकाश राव, तृतीय श्रेणी
 2 वर्तमान धारित पद कनिष्ठ रेशन निरीक्षक
 3 वर्तमान वेतन 12,410 + 2,500 + D.A. अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01/07/2010

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	ग्रह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
दहली - 11 इंदूर जिला - भोपाल	— — 2 आवासीय भवन	आवासीय भू-2405 20x50' 21x46' (इलेक्ट्रिक)	04 लाख 20 लाख	स्वयं के नाम पर धारित हैं —do—	अपनी सेवा में, गीलावडी भोपाल, मेरठ, मुंबई, कोयंबूर, वेपरी, रायसेन, भोपाल, इंदूर - 2001, 31 मार्च 2008 के आदेशों के अंतर्गत इंदूर जिला भोपाल	निरर्थक निरर्थक	अपने वेतन 95000/- (पाई फॉर्टी फाइव हजार) अपने वेतन 820000/- SBI मुंबई 1200000/-

जहां लागू न हो काट दीजिए ।

ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही सही निर्धारण करना संभव न हो वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए। इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं ।

टिप्पणी मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से वह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दे ।

हस्ताक्षर A. Chandra
 नाम अ.च. चंद्रा
 पद कनिष्ठ रेशन निरीक्षक

Achal sumptati

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2010

1 अधिकारी / कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो: श्रीमान श्री (देव) विभा
 2 वर्तमान धारित पद: ...
 3 वर्तमान वेतन 13170+3400 अगली वेतनवृद्धि की तारीख: 11-7-2010

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	ग्रह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
जि०-शिवसेन ग्राम-सुल्तानपुर तह-गीडवांज	गृह	विरक	5.0 लाख	श्रीमती विद्या लक्ष्मी (पत्नी)	'खरीद' वर्ष 1993 श्री ठण्डा-चंड रॉर्ट ग्राम-लौकपुर खण्डिया जि०-शिवसेन (क-9)	विरक	-

जहां लागू न हो काट दीजिए ।

ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही सही निर्धारण करना संभव न हो वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए ।
 इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं ।

टिप्पणी मध्यप्रदेश शासकीय सेवक(आचरण) नियम 1959 के नियम 18(3)के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से वह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दे ।

हस्ताक्षर: [Signature]
 नाम: आर. आर. साहनी
 पद: जिल्ड आधिकार (देवा)

Achal sumpati

फाम

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2010

1 अधिकारी / कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो: श्रीमान श्री (देव) विभा
 2 वर्तमान धारित पद: ...
 3 वर्तमान वेतन 8370+2400 अगली वेतनवृद्धि की तारीख: 01-07-2010

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	ग्रह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
शिवसेन सेवांग भोगा	आवासीय घर 30X50	-	87000/-	स्वयं के नाम पर	G.P.F. से प्राप्त फायदा राजी आस्था कर अर्जन: 30-11-06 मवेरठाबुसुह ग्राम शिवसादी	निरक	निरक

जहां लागू न हो काट दीजिए ।

ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही सही निर्धारण करना संभव न हो वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए ।
 इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं ।

टिप्पणी मध्यप्रदेश शासकीय सेवक(आचरण) नियम 1959 के नियम 18(3)के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से वह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दे ।

हस्ताक्षर: [Signature]
 नाम: श्रीमान श्री (देव) विभा
 पद: शिवसेन सेवांग

Achal sumpati

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2010-11
 1 अधिकारी / कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो... यशवन्त शिंदे सुपर रीग्राम विभाग
 3 वर्तमान वेतन 12152+2200+100... अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01.07.2010... वर्तमान धारित पद... अतिरिक्त निरीक्षण

डस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	ग्रह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
शिवदाश में निवास है।	भवन (नीचमोड 10 कमरे)	-	250000 (आनुमानित)	आपना आवासीय (लाभपी)	विरासत	शुद्ध	-

जहां लागू न हो काट दीजिए।

ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही सही निर्धारण करना संभव न हो वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए। इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।

टिप्पणी मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से वह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दे।

हस्ताक्षर

नाम

पद

यशवन्त शिंदे सुपर
 वरिष्ठ निरीक्षण